

# कानपुर के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों पर प्रशासनिक योजनाओं की जागरूकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकनात्मक अध्ययन

कुमकुम देवी<sup>1</sup> एवं डॉ. अवधेश श्रीवास्तव<sup>2</sup>

<sup>1</sup> शोधार्थी, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान

<sup>2</sup> एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान

## Article Info

## ABSTRACT

### Article history:

Received Mar 15, 2026

Accepted Mar 26, 2026

Published Mar 31, 2026

### Keywords:

अनुसूचित जाति

प्रशासनिक योजनाएँ

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षिक

जागरूकता

कानपुर नगर

प्रस्तुत अध्ययन कानपुर नगर जनपद के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के संदर्भ में शासकीय शैक्षिक योजनाओं की जागरूकता एवं उनकी वास्तविक उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। भारत में अनुसूचित जाति समुदाय की शैक्षिक प्रगति हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति जैसी अनेक योजनाएँ संचालित हैं, परंतु इनकी पहुँच एवं प्रभावशीलता में अंतराल बना हुआ है। अध्ययन का उद्देश्य द्वितीयक सरकारी आँकड़ों के आधार पर इन योजनाओं की पहुँच, लाभार्थी प्रवृत्ति एवं नामांकन-संबंध का परीक्षण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है तथा इसमें जनगणना 2011, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय के प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है। यह परिकल्पना परखी गई कि योजनागत वित्तीय सहायता एवं अनुसूचित जाति नामांकन में सकारात्मक संबंध है। परिणाम दर्शाते हैं कि लाभार्थियों की संख्या एवं बजट उपयोग में हाल के वर्षों में गिरावट आई है तथा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि अत्यंत कम रही। निष्कर्षतः जागरूकता-प्रसार एवं प्रशासनिक सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



### Corresponding Author:

कुमकुम देवी

Email: [kumkumkritiwari@gmail.com](mailto:kumkumkritiwari@gmail.com)

## 1. परिचय

भारत एक विविधतापूर्ण समाज है जहाँ शताब्दियों से जाति-आधारित सामाजिक संरचना ने अनुसूचित जाति समुदाय को शिक्षा, संसाधन एवं अवसरों से वंचित रखा। संविधान निर्माताओं ने इस ऐतिहासिक असमानता को दूर करने हेतु राज्य को सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा। शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता का सर्वाधिक प्रभावी साधन माना जाता है, क्योंकि यह वंचित वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। भारत में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के बीच साक्षरता एवं उच्च शिक्षा नामांकन में सकारात्मक प्रवृत्ति है, परंतु सकल नामांकन अनुपात की वृद्धि धीमी है। इसी पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनेक प्रशासनिक

योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति सर्वाधिक व्यापक है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, विशेषकर निर्धनतम परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षिक केंद्र है। कानपुर नगर जनपद में कुल जनसंख्या का 17.83 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 0.08 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद इस वर्ग के विद्यार्थियों तक योजनाओं की पहुँच सीमित रहती है। योजनाओं की सफलता केवल उनके अस्तित्व पर नहीं, बल्कि लक्षित वर्ग की जागरूकता एवं वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। यदि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक योजनाओं की पात्रता, आवेदन-प्रक्रिया एवं समय-सीमा से अनभिज्ञ रहते हैं, तो सरकारी निवेश का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। प्रशासनिक स्तर पर जटिल दस्तावेज़ीकरण, विलंबित भुगतान एवं अपर्याप्त प्रचार-प्रसार इस अंतराल को और बढ़ाते हैं। इसी कारण योजनागत जागरूकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन एक प्रासंगिक शोध-विषय बन जाता है। प्रस्तुत अध्ययन कानपुर नगर के संदर्भ को केंद्र में रखते हुए शासकीय एवं सांख्यिकीय स्रोतों के आधार पर यह परखने का प्रयास करता है कि प्रशासनिक योजनाएँ अनुसूचित जाति विद्यार्थियों तक किस सीमा तक प्रभावी रूप से पहुँच रही हैं तथा उनके शैक्षिक नामांकन पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता है ताकि योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ किया जा सके।

## 2. संबंधित साहित्य की समीक्षा

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति एवं योजनागत जागरूकता पर अनेक शोध हुए हैं। रघुवेंद्र (2020) के अध्ययन में जनगणना 2011 के आधार पर दर्शाया गया कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति साक्षरता दर में सबसे निचले पाँच राज्यों में हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति साक्षरता दर 60.9 प्रतिशत रही। यह आँकड़ा उत्तर प्रदेश में इस वर्ग के शैक्षिक पिछड़ेपन को रेखांकित करता है तथा योजनागत हस्तक्षेप की आवश्यकता को प्रमाणित करता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर भी असमानता स्पष्ट है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के विश्लेषण के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का नामांकन प्रतिशत (17.39 प्रतिशत) उनकी जनसंख्या-हिस्सेदारी (20.7 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। यह अंतराल दर्शाता है कि नामांकन-वृद्धि के प्रयासों के बावजूद प्रतिनिधित्व का लक्ष्य अभी दूर है।

जागरूकता-केंद्रित शोध भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहे हैं। नादिया जनपद पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों एवं योजनाओं के विषय में बहुत-से विद्यार्थी अनभिज्ञ रहते हैं, और भारत में इस प्रकार की जागरूकता मापने वाले अध्ययन बहुत कम हैं। यह शोध-अंतराल प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता को बढ़ाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन-स्तर पर भी कठिनाइयाँ देखी गई हैं। महाराष्ट्र में रमाई आवास योजना पर किए गए अध्ययन में अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों एवं प्रशासनिक ढाँचे की भूमिका का विश्लेषण किया गया। यद्यपि यह आवास योजना से संबंधित है, परंतु इसके निष्कर्ष शैक्षिक योजनाओं पर भी लागू होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक जटिलता सभी कल्याणकारी योजनाओं की साझा समस्या है।

विद्यालयी स्तर पर अवरोधन की समस्या भी गंभीर है। यूडाइस+ 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारी विद्यालयों में कक्षा 10 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च अवरोधन दर योजनागत सहायता की पहुँच में कमी का परिणाम हो सकती है। इसके सकारात्मक पक्ष भी सामने आए हैं। शोध इंगित करता है कि जिन राज्यों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रहा है, वहाँ कक्षा दस के बाद अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की अवरोधन दर में निरंतर कमी आई है तथा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक एवं स्नातक नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उपर्युक्त साहित्य

समीक्षा से स्पष्ट है कि योजनाओं की उपलब्धता एवं उनकी प्रभावी पहुँच के बीच अंतराल मौजूद है, जिसका स्थानीय संदर्भ में मूल्यांकन आवश्यक है।

### 3. अध्ययन के उद्देश्य

1. कानपुर नगर के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए संचालित प्रमुख प्रशासनिक योजनाओं की पहुँच एवं लाभार्थी प्रवृत्ति का सरकारी आँकड़ों के आधार पर मूल्यांकन करना।
2. योजनागत वित्तीय सहायता एवं अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के शैक्षिक नामांकन व उपयोगिता के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।

### 4. परिकल्पनाएँ

H<sub>1</sub> योजनागत वित्तीय सहायता (बजट उपयोग) एवं अनुसूचित जाति लाभार्थियों की संख्या के मध्य सकारात्मक संबंध है।

H<sub>2</sub> योजनागत जागरूकता एवं पहुँच में कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लाभार्थी-उपलब्धि कम रहती है।

### 5. शोध-प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। चूँकि अध्ययन का उद्देश्य योजनाओं की पहुँच एवं उपयोगिता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना है, अतः इसमें द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है। अध्ययन का भौगोलिक केंद्र कानपुर नगर जनपद है, जबकि तुलनात्मक संदर्भ हेतु उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों को सम्मिलित किया गया है। आँकड़ों का स्रोत पूर्णतः शासकीय एवं प्रामाणिक है, जिनमें भारत की जनगणना 2011, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), यूडाइस+ रिपोर्ट तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं भारतीय संसदीय समिति द्वारा प्रकाशित आँकड़े शामिल हैं।

प्रतिचयन के संदर्भ में, चूँकि अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, इसमें उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के अंतर्गत वे शासकीय प्रकाशन चुने गए जो अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की शिक्षा एवं योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं तथा वर्ष 2025 तक के नवीनतम उपलब्ध आँकड़े प्रस्तुत करते हैं। आँकड़ा-संकलन हेतु उपकरण के रूप में दस्तावेज़ी विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्टों, संसद में प्रस्तुत समिति-प्रतिवेदनों एवं जनगणना तालिकाओं से प्रासंगिक संख्यात्मक सूचना निकाली गई। संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक सांख्यिकी (प्रतिशत, प्रवृत्ति-विश्लेषण) एवं तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया। परिकल्पना-परीक्षण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि के बीच विचलन तथा बजट उपयोग एवं लाभार्थी-संख्या के बीच प्रवृत्ति-संबंध को आधार बनाया गया। अध्ययन की सीमा यह है कि प्राथमिक सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं किया गया, अतः निष्कर्ष शासकीय आँकड़ों की सटीकता पर निर्भर हैं। तथापि सभी आँकड़े सत्यापित स्रोतों से लिए गए हैं, जिससे अध्ययन की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

### 6. परिणाम

तालिका 1: कानपुर नगर जनपद में अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं साक्षरता (जनगणना 2011)

विवरण	आँकड़ा
कुल जनसंख्या	45,81,268
अनुसूचित जाति प्रतिशत	17.83%
अनुसूचित जाति अनुमानित जनसंख्या	लगभग 8.17 लाख
जनपद की कुल साक्षरता दर	79.65%

स्रोत: भारत की जनगणना 2011, जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

तालिका 1 दर्शाती है कि कानपुर नगर की कुल 45.81 लाख जनसंख्या में अनुसूचित जाति का हिस्सा 17.83 प्रतिशत है, अर्थात् लगभग 8.17 लाख व्यक्ति। जनपद की समग्र साक्षरता दर 79.65 प्रतिशत है। यह संख्यात्मक आधार स्पष्ट करता है कि एक बड़ी जनसंख्या

योजनागत हस्तक्षेप की संभावित लक्षित वर्ग है। तालिका 1 के आँकड़े इस वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रभावी जागरूकता-प्रसार की आवश्यकता को मात्रात्मक रूप से रेखांकित करते हैं।

**तालिका 2: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति साक्षरता दर की तुलनात्मक स्थिति (जनगणना 2011)**

राज्य	अनुसूचित जाति साक्षरता दर (%)
बिहार	48.5
झारखंड	55.9
राजस्थान	59.7
उत्तर प्रदेश	60.9
आंध्र प्रदेश	62.3

स्रोत: रघुवेंद्र आर. एच. (2020), *जर्नल ऑफ सोशल इन्क्लूजन स्टडीज़, सेज पब्लिकेशन्स*।

तालिका 2 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति साक्षरता दर 60.9 प्रतिशत है, जो इसे देश के निचले पाँच राज्यों में रखती है। यह दर बिहार एवं झारखंड से अधिक परंतु राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। तालिका 2 स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का शैक्षिक आधार कमज़ोर है, जिससे योजनागत सहायता की आवश्यकता प्रबल हो जाती है तथा कानपुर जैसे जनपदों में लक्षित प्रयास अनिवार्य हो जाते हैं।

**तालिका 3: उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति नामांकन बनाम जनसंख्या-हिस्सेदारी (AISHE 2020-21)**

स्तर	अनुसूचित जाति नामांकन (%)	अनुसूचित जाति जनसंख्या-हिस्सेदारी (%)
उत्तर प्रदेश	17.39	20.70
राष्ट्रीय औसत	14.25	16.63

स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-21, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका 3 दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा नामांकन 17.39 प्रतिशत है, जबकि जनसंख्या-हिस्सेदारी 20.70 प्रतिशत है — लगभग 3.31 प्रतिशत अंक का अंतराल। राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतराल 2.38 प्रतिशत अंक है। तालिका 3 प्रमाणित करती है कि नामांकन में अल्प-प्रतिनिधित्व बना हुआ है, जो योजनागत जागरूकता एवं पहुँच की कमी की ओर संकेत करता है।

**तालिका 4: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS-SC) लाभार्थियों की वर्षवार प्रवृत्ति**

वित्तीय वर्ष	लाभार्थी संख्या (लाख में)
2023-24	47.38
2024-25	48.04
2025-26 (मार्च तक)	36.07

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति प्रतिवेदन, 2026।

तालिका 4 के अनुसार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति लाभार्थियों की संख्या 2023-24 में 47.38 लाख से बढ़कर 2024-25 में 48.04 लाख हुई, परंतु 2025-26 में (मार्च तक) घटकर मात्र 36.07 लाख रह गई। तालिका 4 एक चिंताजनक गिरावट-प्रवृत्ति दर्शाती है, जो योजना की पहुँच एवं क्रियान्वयन में आई कमज़ोरी को इंगित करती है।

**तालिका 5: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति**

वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
2023-24	5,476.22
2024-25	5,581.52
2025-26 (24 मार्च तक)	4,934.67

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति प्रतिवेदन, 2026।

तालिका 5 दर्शाती है कि योजना पर व्यय 2023-24 के 5,476.22 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 5,581.52 करोड़ रुपये हुआ, किंतु 2025-26 में घटकर 4,934.67 करोड़ रुपये रह गया। तालिका 5 की प्रवृत्ति तालिका 4 की लाभार्थी-गिरावट से मेल खाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि घटता व्यय एवं घटती लाभार्थी-संख्या परस्पर संबद्ध हैं।

**तालिका 6: निर्धारित लक्ष्य बनाम वास्तविक उपलब्धि (2025-26)**

विवरण	संख्या (लाख में)
निर्धारित लक्ष्य	76.55
वास्तविक उपलब्धि	36.07
उपलब्धि प्रतिशत	लगभग 47.1%

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति प्रतिवेदन, 2026।

तालिका 6 के अनुसार 2025-26 हेतु निर्धारित लक्ष्य 76.55 लाख लाभार्थी था, परंतु वास्तविक उपलब्धि केवल 36.07 लाख रही, अर्थात् लक्ष्य का लगभग 47.1 प्रतिशत। तालिका 6 दर्शाती है कि लक्ष्य एवं उपलब्धि के बीच भारी अंतराल है, जो योजनागत जागरूकता-प्रसार एवं पहुँच की गंभीर कमी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

**तालिका 7: परिकल्पना-परीक्षण सारांश**

परिकल्पना	परीक्षण आधार	परिणाम
H1: बजट उपयोग एवं लाभार्थी-संख्या में सकारात्मक संबंध	तालिका 4 एवं 5 की प्रवृत्ति-तुलना	समर्थित
H2: जागरूकता/पहुँच की कमी से उपलब्धि लक्ष्य से कम	तालिका 6 का लक्ष्य-उपलब्धि विचलन	समर्थित

स्रोत: तालिका 4, 5 एवं 6 पर आधारित विश्लेषक संगणना।

तालिका 7 परिकल्पनाओं के परीक्षण का सारांश प्रस्तुत करती है। तालिका 4 एवं 5 की समानांतर गिरावट-प्रवृत्ति H1 की पुष्टि करती है, जबकि तालिका 6 का बड़ा लक्ष्य-उपलब्धि विचलन H2 को प्रमाणित करता है। तालिका 7 इस प्रकार दर्शाती है कि दोनों परिकल्पनाएँ उपलब्ध शासकीय आँकड़ों के आधार पर समर्थित हैं।

**7. विवेचना**

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम दोनों उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रथम उद्देश्य योजनाओं की पहुँच एवं लाभार्थी प्रवृत्ति का मूल्यांकन के संदर्भ में तालिका 4, 5 एवं 6 के आँकड़े एक स्पष्ट चिंताजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु सर्वाधिक व्यापक प्रशासनिक योजना है, के लाभार्थियों की संख्या 2024-25 के 48.04 लाख से घटकर 2025-26 में 36.07 लाख रह गई। यह गिरावट केवल सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि योजनागत क्रियान्वयन-तंत्र की कमजोरी का संकेतक है। संसदीय स्थायी समिति ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की कि योजना का 76.55 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य पूर्ण होने से बहुत दूर रहा तथा समिति ने पहुँच एवं उपयोग बढ़ाने हेतु सशक्त प्रचार एवं फीडबैक तंत्र की अनुशंसा की। यह अनुशंसा सीधे जागरूकता-अंतराल की ओर इंगित करती है, जो प्रस्तुत अध्ययन के केंद्रीय प्रश्न के अनुरूप है। कानपुर नगर जैसे जनपद में, जहाँ तालिका 1 के अनुसार

8.17 लाख की बड़ी अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है, ऐसी राष्ट्रीय गिरावट का प्रभाव स्थानीय विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

द्वितीय उद्देश्य वित्तीय सहायता एवं नामांकन व उपयोगिता के बीच संबंध के संदर्भ में परिणाम मिश्रित परंतु अर्थपूर्ण हैं। तालिका 3 दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा नामांकन उनकी जनसंख्या-हिस्सेदारी से कम है। यह अल्प-प्रतिनिधित्व तालिका 2 में दर्शाई गई निम्न साक्षरता दर के अनुरूप है। दूसरी ओर, साहित्य यह भी इंगित करता है कि प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक परिणाम संभव हैं। जिन राज्यों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन सुदृढ़ रहा, वहाँ अवरोधन दर घटी एवं उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में उच्चतर माध्यमिक व स्नातक नामांकन बढ़ा। इससे स्पष्ट होता है कि वित्तीय सहायता एवं नामांकन के बीच संबंध तभी प्रभावी होता है जब योजना की पहुँच एवं जागरूकता सुनिश्चित हो। तालिका 7 के परिकल्पना-परीक्षण ने भी पुष्टि की कि बजट उपयोग एवं लाभार्थी-संख्या की प्रवृत्ति परस्पर संबद्ध है, अर्थात् घटता वित्तीय निवेश घटती उपयोगिता से जुड़ा है।

जागरूकता-अंतराल इस समस्या का मूल कारण प्रतीत होता है। पूर्व अध्ययनों में पाया गया है कि अनेक अनुसूचित जाति विद्यार्थी अपने लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों एवं योजनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। जब विद्यार्थी पात्रता एवं आवेदन-प्रक्रिया से अपरिचित रहते हैं, तो योजना का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। इसके अतिरिक्त, कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने में प्रशासनिक ढाँचे की जटिलता बाधा बनती है। उच्च अवरोधन दर भी इस समस्या से जुड़ी है — कक्षा 10 में 33 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों का पढ़ाई छोड़ देना यह संकेत देता है कि समय पर वित्तीय सहायता न मिलने से विद्यार्थी शिक्षा-तंत्र से बाहर हो जाते हैं। समग्र रूप से, अध्ययन के परिणाम दोनों उद्देश्यों एवं दोनों परिकल्पनाओं के अनुरूप हैं तथा यह दर्शाते हैं कि कानपुर नगर जैसे जनपदों में योजनागत सफलता हेतु केवल बजट-आवंटन पर्याप्त नहीं, बल्कि लक्षित जागरूकता-अभियान, सरलीकृत आवेदन-प्रक्रिया एवं समयबद्ध भुगतान अनिवार्य हैं।

## 8. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि कानपुर नगर जनपद में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु संचालित प्रशासनिक योजनाएँ, विशेषकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। शासकीय आँकड़े दर्शाते हैं कि लाभार्थियों की संख्या एवं योजनागत व्यय दोनों में हाल के वर्षों में गिरावट आई है तथा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि लगभग आधी ही रही। निम्न अनुसूचित जाति साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा में अल्प-प्रतिनिधित्व इस वर्ग की संरचनात्मक शैक्षिक चुनौती को रेखांकित करते हैं। अध्ययन की दोनों परिकल्पनाएँ उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर समर्थित पाई गईं, जिससे स्पष्ट होता है कि जागरूकता एवं पहुँच की कमी योजनागत प्रभावशीलता की प्रमुख बाधा है। अतः नीति-स्तर पर लक्षित जागरूकता-अभियान, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर मार्गदर्शन-तंत्र, आवेदन-प्रक्रिया का सरलीकरण तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि योजनाओं का उद्देश्य वास्तविक रूप में पूर्ण हो सके।

## References

- [1]. पियाजे, जे. (1973)। समझना ही आविष्कार करना है: शिक्षा का भविष्य। न्यूयॉर्क: ग्रॉसमैन।
- [2]. भारत की जनगणना। (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश*। जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश। <https://www.census2011.co.in/census/district/535-kanpur-nagar.html>
- [3]. सेंसस इंडिया। (2011). *कानपुर नगर जनपद की जनसंख्या, धर्म, जाति एवं साक्षरता संबंधी आँकड़े*। <https://www.censusindia2011.com/uttar-pradesh/kanpur-nagar-population.html>

- [4]. रघवेंद्र, आर. एच. (2020). भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता एवं स्वास्थ्य स्थिति। *कंटेम्पररी वॉइस ऑफ़ दलित*, 12(1), 97–110. <https://doi.org/10.1177/2455328X19898449>
- [5]. एजुकेशन फ़ॉर ऑल इन इंडिया। (2023). अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के आँकड़ों के आधार पर भारत में अनुसूचित जातियों के उच्च शिक्षा नामांकन का विश्लेषण। <https://educationforallindia.com/analyzing-scheduled-castes-higher-education-enrolment-in-india-based-on-aishe-2020-21-data/>
- [6]. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2020). भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC): योजना दिशानिर्देश। भारत सरकार। <https://socialjustice.gov.in/schemes/25>
- [7]. कुमार, ए., एवं मंडल, बी. (2019). नादिया जनपद में उच्च शिक्षा स्तर पर शासकीय योजनाओं के विषय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की जागरूकता। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़*, 6(1), 1–6. <https://www.ijrar.org/papers/IJRAR19J2875.pdf>
- [8]. दामोदर, वी. (2023). कल्याणकारी योजनाओं पर अनुसूचित जाति समुदाय के अनुभव: महाराष्ट्र में रमाई आवास योजना का एक अध्ययन। *कंटेम्पररी वॉइस ऑफ़ दलित*, 15(2). <https://doi.org/10.1177/2455328X231176221>
- [9]. कृष्णा, ए. (2021, 2 जुलाई). यूडाइस+ रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 10 में 33% से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। करियर्स360. <https://news.careers360.com/udise-plus-education-minister-ramesh-pokhriyal-nishank-school-dropout-sc-st-obc-class-10>
- [10]. इम्प्री इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। (2025). शिक्षा में अंतराल को पाटना: अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति। <https://www.impriindia.com/insights/post-matric-scholarship-for-scstudents/>
- [11]. कॉलेजअप्लाई न्यूज़। (2026, 12 मार्च). अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: आय सीमा बढ़कर 4.5 लाख रुपये होगी। <https://news.kollegeapply.com/news/post-matric-scholarship-for-sc-students-income-limit-to-rise-to-rs-45-lakh>
- [12]. करियर्स360. (2026, 17 मार्च). पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में बदलाव: सरकार की शुल्क सीमा एवं उच्च आय सीमा की योजना। <https://news.careers360.com/post-matric-scholarship-pms-for-sc-rules-change-msje-course-fee-cap-4-5-lakh-income-limit-next-year-social-justice-and-empowerment>
- [13]. प्रेस सूचना ब्यूरो। (2023). अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु निधि। भारत सरकार। <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1945064>
- [14]. प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया। (2023, 30 जनवरी). अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का नामांकन 47% बढ़ा। करियर्स360. <https://news.careers360.com/enrolment-of-st-students-in-higher-education-up-47-percent-2014-15-aishe-report>

- [15]. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। (अदिनांकित). प्रभाग के बारे में: अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक योजनाएँ। भारत सरकार। <https://socialjustice.gov.in/common/19536>
- [16]. इंडियास्टैट। (अदिनांकित). भारत में चरणवार अनुसूचित जाति (SC) विद्यार्थियों की राज्यवार अवरोधन दर। <https://www.indiastat.com/data/education/dropout-rates-of-scheduled-caste-sc-students>
- [17]. पांडेय, एस. (2021). भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की पहुँच। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 9(9), 168–175. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2109168.pdf>
- [18]. राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल। (अदिनांकित). सामान्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार। <https://services.india.gov.in/service/detail/application-for-scholarship-general-and-scst-uttar-pradesh>
- [19]. सिंह, आर. (2023). अनुसूचित जातियों की शैक्षिक स्थिति का एक समालोचनात्मक मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ नॉवेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 8(1), 47–55. <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2301047.pdf>
- [20]. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। (अदिनांकित). अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो: हमारे बारे में। भारत सरकार। <https://socialjustice.gov.in/common/1236>
- [21]. इंडिया.जीओवी.इन। (अदिनांकित). अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रपत्र। भारत का राष्ट्रीय पोर्टल। <https://www.india.gov.in/forms-avail-welfare-schemes-scheduled-castes>

### ***Cite this Article:***

कुमकुम देवी एवं डॉ. अवधेश श्रीवास्तव, " कानपुर के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों पर प्रशासनिक योजनाओं की जागरूकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकनात्मक अध्ययन", *Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT)*, ISSN: 3139-1656 (Online), Volume 2, Issue 3, pp. 42-49, March 2026.

Journal URL: <https://vijact.com>

DOI: <https://doi.org/10.65785/vijact.v2i3.23>